

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2
संख्या- — /V-2/2022/127(आ0)2015 टी0सी0-1
देहरादून : दिनांक 24 मार्च, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या: 127/UHUDA-109 A/EBD/2016 दिनांक: 11.03.2022 के क्रम में Ease of Doing Business के अन्तर्गत निर्धारित SBRAP Point-183 पर कार्यवाही किए जाने हेतु भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया/अन्य कार्यों के लिए आवास विभाग के पत्र संख्या:153/V-2-21-127(आ0)/2015 टी0सी0-1 दिनांक: 22.01.2021 के द्वारा निर्धारित समय-सीमा को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

क्र० सं०	सेवायें/प्रक्रिया	निर्धारित समय सीमा
1	एकल आवासीय इकाई एवं आवासीय मानचित्र का निस्तारण	15 दिन
2	गैर एकल आवासीय एवं मानचित्र का निस्तारण	30 दिन
3	प्लिंथ स्तर का निरीक्षण	05 दिन
4	कार्यपूति/अधिभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना	10 दिन

2- शासनादेश संख्या: 153/V-2-21-127(आ0)/2015 टी0सी0-1 दिनांक: 22.01.2021 के उक्त से सम्बन्धित प्राविधान इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

Signed by Arpan Kumar
Raju
Date: 24-03-2022 16:01:27
(अर्पण कुमार राजू)
उप सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
3. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मसूरी-देहरादून/हरिद्वार-रूड़की।
4. संयुक्त मुख्य प्रकाशक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
6. गार्ड फाइल।